संख्या– 5429/सत्रह–म–2005–10–7(27)/84

प्रेषक,

एन0के0 टण्डन
विशेष सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष
समस्त मत्स्य पालक विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2005

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदों,ग्रामों एवं लाभार्थियों के चयन प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1083/57–म–2001–10–7(27)/84, दिनांक 21 अप्रैल,2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदों में लाभार्थियों के चयन, मछुआ आवासों को इंदिरा आवास की भांति निर्मित कराये जाने, निर्माण हेतु भुगतान किए जाने आदि के संबंध में नीति निर्देश एवं प्रकिया के शासनादेश संख्या 3824/57–म–96–10–7(27)/84, दिनांक 03 अगस्त,1996 का संशोधन है, के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल,2001 के प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर–4 को संशोधन के उपरान्त निम्नवत पढ़ा जायः–

6–(4) आगामी वर्षो में प्रदेश के जनपदों में चयनित ग्रामों में 10(दस) मछुआ आवासों के आवंटन को सुनिश्चित कराया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का अपवाद शासन स्तर से ही किया जा सकेगा।

यह शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
ह0/
(ए0के0 टण्डन)
विशेष सचिव

संख्या– 5429(1)/सत्रह–म–2005–10–7(27)/84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण,उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से
ह0/
(ए0के0 टण्डन)
विशेष सचिव